Non-coal mines

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 802] नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2009/वैशाख 30, 1931
No. 802] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2009/VAISAKHA 30, 1931

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2009

का.आ. 1286(अ).—"जिप्सम खानों, बैराइट्स खानों, बाक्साइट खानों, मैगनीज खानों, चाइना क्ले खानों, क्यानाइट खानों, तांबा खानों, क्ले खानों, मेग्नेसाइट खानों, व्हाइट क्ले खानों, पत्थर खानों, स्टीटाइट खानों (सोप स्टोन एवं टैल्क उत्पादित करने वाली खानों सहित), गेरू खानों, एस्बेस्टस खानों, फायर क्ले खानों, क्रोमाइट खानों, क्वार्टजाइट खानों, क्वाटाइज खानों, सिलिका खानों, ग्रेफाइट खानों, फेल्सपर खानों, लेटेराइट खानों, डोलोमाइट खानों, रेड ऑक्साइड खानों, वोलफ्राम खानों, लौह अयस्क खानों, ग्रेनाइट खानों, रॉक फास्फेट खानों, हेमेटाइट खानों, संगमरमर खानों और कैलसाइट खानों, यूरेनियम खानों, अभ्रक खानों, लिग्नाइट खानों, ग्रेवल खानों, स्लेट खानों एवं मेग्नेटाइट खानों," में लगे कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाली दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर को संशोधित करने के प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का.आ. 133(अ) में दिनांक 13 जनवरी, 2009 को भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा यथापेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी और उनसे उस तारीख से, जिसको अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गयी थी, दो मास की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 14 जनवरी, 2009 को साधारण जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) और धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श करने के पश्चात्, इस अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी दरों को नियत करती है।

मजदूरी की न्यूनतम दरें, जो इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगी, निम्नलिखित शामिल होगा—

(क) इसमें संलग्न अनुसूची के भाग 1 के स्तंभ (3) और (4) में उपवर्णित और स्तंभ (2) में उल्लिखित खानों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रवर्गों का संदेय मजदूरी की मूलभूत दरें; और

(ख) उक्त अनुसूची के भाग II में विशेष भत्ता (जिसे इसके पश्चात् परिवर्ती महँगाई भत्ता कहा गया है) को उक्त अनुसूची के भाग II के स्तंभ (3) और (4) में उल्लिखित दर पर प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर को समाप्त छमाही की पूर्ववर्ती अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर क्रमशः 1 अक्तूबर और 1 अप्रैल को शुरू होने वाली छमाही के अंतराल पर मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा समायोजित किया जाएगा।